



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-10032026-270813
CG-WB-E-10032026-270813

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1187]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2026/फाल्गुन 19, 1947

No. 1187]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2026/PHALGUNA 19, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

कोलकाता, 9 मार्च, 2026

का.आ. 1239(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, "आसनसोल डिवीजन में कालीपहाड़ी को बायपास करते हुए मोहिशिला (दक्षिण पूर्व रेलवे) को आसनसोल यार्ड से जोड़ने वाली कालीपहाड़ी बाईपास लाइन (4.75 किमी)" परियोजना के भूमि अधिग्रहण हेतु पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा.सं. मु. प्र. अ./नि./ भू./328]

मनोज खाँ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[Eastern Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 9th March, 2026

S.O. 1239(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies "Kalipahari by-pass line connecting Mohishila (SER) with Asansol yard bypassing kalipahari (4.75 km)" line in Asansol Division as Special Railway Project for acquisition of land in Paschim Bardhaman district of West Bengal, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. CAO/Con/L/328]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con.

1710 GI/2026